भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3827

दिनांक 11 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रोटीनयुक्त सूखे दूध में मेलामाइन का संदूषण

3827. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मेलामाइन पदार्थों के उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रचुर मात्रा में प्रोटीन युक्त सूखा दूध बनाने के लिए मेलामाइन सामग्री का उपयोग किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने देश में मेलामाइन मिले प्रोटीनयुक्त सूखे दूध के उपयोग को मंजूरी दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में प्रचुर मात्रा में प्रोटीनयुक्त दूध में मेलामाइन के उपयोग से होने वाले नुकसान के संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मेलामाइन एक रसायनिक यौगिक है जिसके लेमिनेटस, ग्लूज, डिनरवेयर, एडेहिसव, मोल्डिंग, कम्पाउन्ढ़, कोटिंग र्और फलेम रिटार्डेंट (ज्वलामंदक) के उत्पादन सहित अनेक गैर-खाद्य औद्योगिक प्रयोग हैं। मेलामाइन के कोई ज्ञात खाद्य प्रयोग नहीं है। तथापि, मेलामाइन और इसका संरचनात्मक समरूप उपरोक्त गैर-खाद्य पदार्थों में बड़े पैमाने पर मैलामाइन के प्रयोग होने के कारण यह भोजन को संदूषित कर सकता है।

एफएसएसएआई ने बच्चों के खाद्य पदार्थों ओर दूध सहित खाद्यों में मेलामाइन की अधिकतम सीमा निर्धारित की है ताकि एक दूषक के रूप में मेलामाइन की आकस्मिक मौजूदगी का निराकरण किया जा सके।

(घ) से (ङ): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने सूचित किया है कि उसने देश में अधिक प्रोटीन वाले दूध में मेलामाइन के हानिकारक प्रभावों पर कोई अध्ययन नहीं किया हैं।

****